न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 13/2020 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती भगवती बाई पत्नी भांभूसिंह जी राव, निवासी खेड़ी, आसोलियों की मादडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. महेन्द्रसिंह पिता भांभूसिंह जी राव, निवासी खेड़ी, आसोलियों की मादडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. विजयसिंह पिता भांभूसिंह जी राव, निवासी खेड़ी, आसोलियों की मादडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. सूरजसिंह पिता भांभूसिंह जी राव, निवासी खेड़ी, आसोलियों की मादडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भांभूसिंह पिता दौलतसिंह जी राव, निवासी खेड़ी, आसोलियों की मादडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती हजानी जुलेखा बी पत्नी हाजी मोहम्मद जी सली मुसलमान, निवासी 25, लौहार कालोनी, आयड़, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती जरीना बी पत्नी मोहम्मद इदरीस मुसलमान, निवासी 25, लौहार कालोनी, आयड़, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती हजानी खतीजा बी पत्नी हाजी मोहम्मद हुसैन मुसलमान, निवासी लौहार कालोनी, आयड़, उदयपुर (राज.)
5. ग्राम पंचायत बोयणा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. पटवारी, पटवार हल्का बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक
31.01.2020 प्रकरण [illegible]/2019

———/———

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:05 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह भाक्तावत अभि. रे.सं. 2 से 4
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 28–09–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसोलियों की मादडी में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 241, 245, 311, 313, 314, 424, 425, 427, 428, 432, 435, 438 कुल किता 12 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 भाम्भूसिंह का 1/2 व 1/2 हिस्सा अन्य सहखातेदार का राजस्व रेकार्ड में अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 329 मी., 332 मी., 333, 334, 433 कुल किता 5 रकबा 65 बीघा 10 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 भाम्भूसिंह एवं मोहनसिंह का 1/3 हिस्सा अन्य सहखातेदार का राजस्व रेकार्ड में अंकित है। उक्त आराजियात पैतृक होकर भाम्भूसिंह जी को विरासत में मिली है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। विपक्षी संख्या 2 से 4 ने आराजी नंबर 332 मी., 333, 334, 433 कुल किता 4 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा में भाम्भूसिंह का 1/6 हिस्सा था वह तीनों ने 1/18, 1/18 हिस्सा जरिये अलग–अलग विक्रय पत्र दिनांक 18–05–2006 से क्रय किया, जिसके लिए न तो सहमति ली, न रकम दी। जमीन पर कब्जा हमारा है। बिना रकम दिये एवं बिना कब्जा लिए मौरूसी जमीन का विक्रय नल एण्ड वोईड है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 2 से 4 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आराजियात क्रय की गयी है इसलिए जब तक उक्त विक्रय पत्र सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता, तब तक प्रार्थीगण इस न्यायालय से किसी प्रकार के दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–01–2020 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया,

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:05 IST
Reason: SelfAttested

जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–09–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह भाक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लॉक डाउन एवं कोरोना की वजह से अपीलान्ट समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। न्यायहित में मयाद कण्डाने की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि विवादित भूमि अपीलान्टगण की मौरूसी होने से प्रत्येक ईच भूमि पर प्रत्येक सहदायी का कब्जा है तथा सहदायी का कब्जा होते हुए जो विक्रय किया गया है व निश्प्रभावी व भून्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 को भी अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2006 पेज 405, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 373, आर.बी.जे. 2019 पेज 129 पे ा की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:05 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात मौरूसी मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्टगण के पक्ष में माना है एवं इस आधार पर विपक्षी संख्या 1 को मौरूसी भूमियों को विक्रय नहीं किये जाने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया है, किन्तु विपक्षी संख्या 2 से 4 जो इस भूमि के क्रेता है, उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निशेधाज्ञा जारी नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि यदि विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा भूमियों का आगे विक्रय कर दिया जाता है तो मौके पर पक्षकारों के मध्य और विवाद बढेंगा एवं कानूनी पेचीदगिया बढ़ जायेगी, जैसाकि आर.बी.जे. 2019 पेज 129 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि मौरूसी होना माना है तथा मौरूसी सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार होता है, जैसाकि आर.बी.जे. 2005 पेज 405 में माननीय राजस्व मण्डल ने माना है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को ही मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन की रो ानी में त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–01–2020 अपास्त किया जाता है तथा मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलान्टगण के कब्जे का त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:05 IST
Reason: SelfAttested